कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या— प्रा0शि0प0/परिषद सम्बद्धता/2019/1122 लखनऊ दिनांक 16-5-2019

:—कार्यालय ज्ञाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु [illegible] सम्बद्धता/[illegible] सम्बद्धता विस्तार/[illegible] हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद 2 में डिप्लोमा स्तरीय [illegible] सम्बद्धता समिति द्वारा [illegible] निम्नवत् निर्णय लिया गया :—

"संलग्नक—1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक—1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019—20 हेतु विहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निर्णयानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन [illegible] एवं उनके अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :—

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 के अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible] स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, [illegible] लखनऊ	सिविल इंजी0 मैकेनिकल (प्रोडक्शन) मैकेनिकल (ऑटोमोबाइल) इलेक्ट्रिकल इंजी0	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

<u>सम्बद्धता हेतु शर्तें</u>

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

Principal
Bhanwal School of Engineering
Lucknow

- ✓ संस्था को एआईसीटीई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा [illegible] नियमों/निर्देशों/अधिनियमों/[illegible] एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा [illegible] निर्देशों [illegible] का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ निदेशक इस कार्यक्रम [illegible] एआईसीटीई, नई दिल्ली से अनुमोदन [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा [illegible] की प्रतिपूर्ति [illegible] संस्था को करनी होगी।
- ✓ [illegible] इस कार्यक्रम [illegible] संस्थाओं को [illegible] माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन [illegible] आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनायें जैसे [illegible] शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि [illegible] होगा।
- ✓ संस्था को [illegible] हेतु [illegible] सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम [illegible] अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि [illegible] की जायेगी।
- ✓ उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने [illegible] अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

([illegible] सिंह)
सचिव

पत्रांक- प्रा0शि0प/परिषद सम्बद्धता/2019/1433-2262 तद् दिनांक 16-5-2019.

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, [illegible] स्कूल आफ इंजीनियरिंग, [illegible] लखनऊ।

[illegible]

PRINCIPAL
Bhowal School of Engineering
Lucknow

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

[illegible]
सचिव

[illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि: [illegible]

[illegible]
सचिव

<u>कार्यालय,</u>

<u>सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,</u>

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्रा०शि०प०/सम्ब0/2021/3537 लखनऊ: दिनांक 05.08.2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 05.08.2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता एवं पूर्व संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2282-BHONWAL SCHOOL OF ENGINEERING, NATKUR BIJNOUR, BANTHRA ROAD, LUCKNOW			
क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962 (संशोधित) [illegible] के प्राविधानों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों [illegible] निर्धारित शुल्क [illegible] रू0 22100.00/- [illegible] 22.06.2021 [illegible] पाये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता समाप्त करते हुए [illegible] सत्र 2021-22 [illegible] जो संस्था को मान्य होगा।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं [illegible] 2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्रावि०प०/परिषद सम्बद्धता/2021/3638-4809 **दिनांक: 09/08/2021**

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक,**BHONWAL SCHOOL OF ENGINEERING, NATKUR BIJNOUR, BANTHRA ROAD, LUCKNOW**

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव